झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–89 / 2020

मोहम्मद नौशाद उर्फ मोहम्मद नौसाद ....याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विरोधी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता के लिएः श्री अमन शेखर, अधिवक्ता।

राज्य के लिएः श्री राकेश कु0 नंबर 2, ए0पी0पी0।

02 / 15.01.2020 श्री अमन शेखर, याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता और श्री राकेश कु0 नंबर 2, राज्य के लिए विद्वान ए0पी0पी0 को सुना।

याचिकाकर्त्ता जी0आर0 संख्या 656 / 2019 के अनुरूप रंगा थाना काण्ड संख्या 57 / 2019 के संबंध में एक आरोपी है।

सूचक के ट्रक को घेर लिया गया और 1,40,750 / – रूपये लूट लिया गया था।

ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्त्ता को रंगा थाना काण्ड संख्या 131 / 2019 में किए गए कबूलनामे पर फंसाया गया है। याचिकाकर्त्ता दिनांक 31.07.2019 से हिरासत में है।

हिरासत की अवधि को ध्यान में रखते हुए, ऊपर नामित याचिकाकर्त्ता को 10,000/— (दस हजार) रूपये के बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, राजमहल के संतुष्टि पर, रंगा थाना काण्ड संख्या 57/2019 तद्नुसार जी0आर0 संख्या 656/2019 में जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

(आर0 मुखोपाध्याय, न्याया0)